


153

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा, संभाग-रीवा (म0प्र0)



Rs. 20/-

R-2389 III/13

274
3-6-13

श्रीमती ऊषा तिवारी पत्नी सुरेशचंद तिवारी निवासी ग्राम खरहरी,
तहसील-सेमरिया, जिला-रीवा (म0प्र0)निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- जगदीश सिंह पिता रामेश्वर सिंह कुर्म0
- 2- बाला प्रसाद पिता गौरी शंकर तिवारी
- 3- रामदुलारे पिता रामविशाल तिवारी (फौत0) द्वारा वारिसान
 - (i) सानियां पति शम्भू प्रसाद तिवारी
 - (ii)✓ भोला प्रसाद पिता शम्भू प्रसाद तिवारी
 - (iii) श्री राम पिता शम्भू प्रसाद तिवारी
 - (iv) संतदास पिता शम्भू प्रसाद तिवारी
 - (v)✓ मंगल प्रसाद पिता रामदुलारे
 - (vi)✓ सुशील तिवारी पिता रामदुलारे तिवारी सभी निवासी ग्राम खरहरी
तहसील-सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)गैर निगरानीकर्ता

निगरानी न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय
रीवा के राजस्व प्रकरण क0-221/अ 6/10-11
के आदेश दिनांक 22.04.13 के आदेश के विरुद्ध
निगरानी अन्तर्गत धारा 50म.प्र.भू.रा.सं.1959ई.

अधि. श्री सतातर
पाठ्डम इया 9/5/13
रीवा, दि 3-06-13

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न है :-

ग्वालियर

यह कि निगरानीकर्ता ने भू-खण्ड क्रमांक 181/18 स्थित ग्राम
खरहरी रकबा 1.48 एकड गैर निगरानीकर्ता क0-1/अनावेदक क0-1
से दिनांक 07.05.09 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कय कर कब्जा
दखल प्राप्त किया था उपरोक्त वर्णित आराजी गैर निगरानीकर्ता क0-1
स्थान पर राजस्व रिकार्ड में निगरानीकर्ता का नाम इन्द्राज किये जाने
हेतु अधीनस्थ तहसील न्यायालय सेमरिया के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत
किया था जिसका प्रकरण क्रमांक 09/अ 6/09-10 था। उपरोक्त

22/6

M

- 2 -

R - 2389 - III 113 शीवा

27-4-17

1 - आवेदिका की ओट से श्री सतानन्द
पाण्डेय, एड. उपो। उनके द्वारा एक आवेदन
पत्र "प्रकरण खेद्या से समारत किये जाने
हेतु प्रस्तुत किया गया।"

2. विभागीय स्तर पर 'गारुड' में
समारत किया जाता है। प्रकरण द्वारा
पंजी से जारी किया जाय एवं अधीनस्थ
जमापत्र का अधिलेख वापस किया
जाय। तत्पश्चात् दारिद्वल अधिलेख वापस
किया जाय।

सदस्य

माननीय
लेडी जस्टिस
डा. क. क. बाही दीवान
से प्रकरण अधिलेख
पंजी वापस
काले निवेदन
आदि विभागा
K. K. Bahl